न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/425

1. जयनारायण आत्मज श्री मल्या उर्फ सुरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामनारायण आत्मज श्री मल्या उर्फ सूरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी जी–81 पुलिस लाईन लोहाखन कोलोनी अजमेर जिला अजमेर ।
3. गोप्या आत्मज श्री मल्या उर्फ सुरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. रामफूल आत्मज श्री मल्या उर्फ सुरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. हंसा आत्मज श्री मल्या उर्फ सुरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. धनपाल आत्मज जंसी जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. सुरजन आत्मज जंसी जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. गोपाल आत्मज बाला जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. रेशम बेवा गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   3/2. मड्डू आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
   3/3. जमना लाल आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. रामकिशन आत्मज बजरंगा जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
5. बीरबल आत्मज बजरंगा जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. रामेश्वर आत्मज बजरंगा जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. कल्याणी पुत्री बिशना पत्नी गिरिराज जाति मीणा निवासी हाल ग्राम नाहरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत जिला कलक्टर, बून्दी ।
9. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवा द्वारा श्रीयुक्त शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 धनपाल ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 92 ए के अन्तर्गत ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी कुल 23 किता की कुल रकबा 97 बीघा 12 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवारदीगण क्रम 1 लगायत 10 की पैतृक सम्पतित है तथा वादी व प्रतिवादी उन पर बहैसियत सहखातेदार काबिज काश्त हैं । पक्षकारान मीणा जाति के सदस्य हैं जिन पर पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है जिसमें पुत्रियों को कोई अधिकार पैतृक समपत्ति में नहीं होता है । उक्त भूमि पर बाला और बिशना की मृत्यु के बाद मल्या, जंसी, बजरंग व गोपाल खातेदार हुए प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि पर 60 वर्ष पूर्व पारिवारिक सहमति से विभाजन कर लिया था तब से वे अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादी क्रम 2 से 6 के पिता मल्या उर्फ सुरजमल ने परिवार में सबसे बडा होने के कारण स्व0 बाला के पश्चात् स्वयं को रामसुखा का पुत्र बातकर बिशना के साथ–साथ राजस्व रिकॉर्ड में अनाधिकृत रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिण जो सर्वथा अनाधिकृत है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादीगण क्रम 2 लगायत 6 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी क्रम 7 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी क्रम 8 से 10 का हिस्सा 1/4 दर्ज करवाकर वर्तमान इन्द्राजात को विलोपित करावे ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार घोषित किया जाकर उनका हिस्सा 1/4 दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 2 से 6 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी क्रम 7 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादीगण क्रम संख्या 8 से 10 का हिस्सा 1/4 दर्ज कर वर्तमार इन्द्राजात को विलोपित कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे । प्रतिवादीगण क्रम 2 से 10 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल नहीं करे और उक्त भूमि को किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें और न ही खुर्द–बुर्द करें । विकल्प में यह भी निवेदन है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2442 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1115 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1112 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1099 रकबा 14 बिस्वा एवं 1571 रकबा 01 बिस्वा तथा चाह संख्या 1110 के 1/4 हिस्से पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर तन्हा खातेदार घोषित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2016 के द्वारा वाद वादी डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 6 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर

कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में दिनांक 02.05.2016 को तनकी कायम की गई थी और दिनांक 13.05.2016 के लिए साक्ष्य वादी के लिए नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 13.05.2016 को साक्ष्य वादी में ही दिनांक 19.07.2016 को नियत किया गया लेकिन उससे पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा गया था और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया । लोक अदालत में उपस्थित होने की सूचना अपीलान्टगण नहीं दी गई । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया गया था इसके उपरान्त सीपीसी की पालना किये बिना इसे लोक अदालत में निर्णित किया गया है । अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैध है । तनकीयात कायम की गई थीं परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की उपस्थिति में निर्णय पारित एवं डिक्री पारित की है । अतः अपीला अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दनिांक 20.05.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायम होने के बाद साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में धनपाल वादी और प्रतिवादी कम 1 और 3 की उपस्थिति दर्ज करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ था और न ही समस्त पक्षकार उपस्थित हुए हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2016 निरस्त किया जाता है ।

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा